झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 10 राँची, बुधवार

3 चैत्र, 1938 (श०)

23 मार्च, 2016 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 24-31

भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

पृष्ठ

भाग-4–झारखण्ड अधिनियम

भाग-5–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9- विज्ञापन ---

भाग-9-क–बन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक-- ... ...

पूरक अ ... ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

26 फरवरी, 2016

संख्या- 4/नि0सं0-12-103/2015 का.-1801--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्रीमती अरूणा कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बोकारो द्वारा उपभोग किये गये अवकाश (क) दिनांक 21 जुलाई, 2015 से 24 अगस्त, 2015 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत, (ख) दिनांक 25 अगस्त, 2015 से 10 सितम्बर, 2015 तक अर्द्धवैतनिक अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 232 के तहत एवं (ग) दिनांक 11 सितम्बर, 2015 से 20 दिसम्बर, 2015 तक असाधारण अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
एच० के० सुधाँशु,
सरकार के अवर सचिव ।

अधिसूचना

29 फरवरी, 2016

संख्या-13/वरीय नि० सं०-68/2015 का०-1809--श्री सुरेन्द्र शर्मा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-IX, हजारीबाग को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है ।

2. श्री शर्मा की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 30 जुलाई, 2015 है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
उमेश चन्द्र सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

अधिसूचना

3 फरवरी, 2016

संख्या-3/नि० सं०-09-49/2014 का॰ 988--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री नागेन्द्र शर्मा, प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त, हजारीबाग का (क) दिनांक 25 जून, 2013 से 30 दिसम्बर, 2013 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत (ख) दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 से 11फावरी, 2014 तक एवं दिनांक 19 फरवरी, 2014 से 25 फरवरी, 2014 तक अर्द्धवैतनिक अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 232 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
एच० के० सुधाँशु,
सरकार के अवर सचिव ।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

अधिसूचना

17 मार्च, 2016

संख्या-04/आ0-01-1003/2015-1303--श्री अनिल प्रसाद, कार्यपालक अभियंता निलंबित (तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पेय0 एवं स्व0 प्रम0, साहेबगंज) को विभागीय कार्य में शिथिलता बरतने, भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना ''नमामि गंगे'' में अभिरूचि नहीं लेने, स्वच्छ भारत अभियान की समीक्षात्मक बैठक से बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने, CSR शौचालय निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने, चापाकलों की साधारण मरम्मति के पश्चात् भुगतान नहीं करने, आपदा प्रबंधन की राशि का उपयोग नहीं कर लापरवाही बरतने तथा जनोपयोगी योजनाओं का ससमय क्रियान्वयन नहीं करने आदि आरोपों का सम्यक समीक्षोपरान्त प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने के कारण विभागीय अधिसूचना सं0-3491, दिनांक 13 अगस्त, 2015 के द्वारा द्वारा निलंबित किया गया। उपरोक्त आरोंपो की जाँच हेतु श्री प्रसाद के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 के नियम-17 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया जाता है।

2. **विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री शुभेन्द्र झा, विभागीय जाँच पदाधिकारी सह संचालन पदाधिकारी, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को जाँच संचालन पदाधिकारी तथा विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री अभय नन्दन अम्बष्ठ, उप सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।**

3. **जाँच संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत अधिकतम 105 (तीन माह पन्द्रह दिन) दिनों में जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेगें।**

4. **आरोपित पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे 15 (पन्द्रह) दिनों में अपना लिखित बचाव-बयान जाँच संचालन पदाधिकारी को समर्पित करेंगे तथा उनके निर्देश पर उनके द्वारा निर्धारित तिथि को उनके समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन में हर अपेक्षित सहयोग करेंगे ।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अभय नन्दन अम्बष्ठ,

सरकार के उप सचिव ।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

अधिसूचना

17 मार्च, 2016

संख्या-04/आ0-02-1005/2016-1305--श्री अरविंद कुमार जायसवाल, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चक्रधरपुर SBM (G) **के अंतर्गत** IHHL **निर्माण, स्कूल शौचालय के निमार्ण में निर्धारित लक्ष्य से काफी कम उपलब्धि, वर्ष-**2014-15 **में** ODF **हेतु लंक्षित दो पंचायतों में** ODF **नहीं करना, वितीय वर्ष-**2015-16 **में** IHHL **निर्माण हेतु दस माह व्यतीत होने के उपरांत भी मात्र** 26% **उपलब्धि प्रापत करना,** रू0 1.85 **(एक करोड़ पचासी लाख** रू0) **का अग्रिम असमायोजित रहना, निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु वरीय पदाधिकरियों के आदेश का अवहेलना कर** SBM(G) **जैसे महत्वपूर्ण योजना की प्रगति में रूकावट पैदा तथा अनुपयोगी बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने संबंधी आरोपों के सम्यक समीक्षा के उपरांत उपरोक्त आरोंपो को प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने के कारण श्री जायसवाल के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-**2016 **के नियम-**17 **के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया जाता है ।**

2. **विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री शुभेन्द्र झा, विभागीय जाँच पदाधिकारी सह संचालन पदाधिकारी, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को जाँच संचालन पदाधिकारी तथा विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री डी0 के0 सिंह, संयुक्त सचिव-सह-विशेष कार्य पदाधिकारी, नमामि गंगे परियोजना, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।**

3. **जाँच संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत अधिकतम** 105 **(तीन माह पन्द्रह दिन) दिनों में जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेगें ।**

4. **आरोपित पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे** 15 **(पन्द्रह) दिनों में अपना लिखित बचाव-बयान जाँच संचालन पदाधिकारी को समर्पित करेंगे तथा उनके निर्देश पर उनके द्वारा निर्धारित तिथि को उनके समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन में हर अपेक्षित सहयोग करेंगे ।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
अभय नन्दन अम्बष्ठ,
सरकार के उप सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 10—50 ।